

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर**  
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृति/ x-03- 00781 / 2025/149

दिनांक:- 27/3/2025

--: आदेश :-

निम्नांकित कार्मिक जो 60 वर्षीय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत होने जा रहे हैं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सेवानिवृत किया जाता है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृति तिथि
1	तसनीम बानो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	टोंक	02-05-1965	31-05-2025
2	चन्द्रमती एन.आर. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	डीडवाना कुचामन	27-05-1965	31-05-2025
3	शशीकला पाराशर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	टोंक	08-05-1965	31-05-2025
4	मरियम्मा वी0वी0 महिला स्वास्थ्य दर्शिका	टोंक	20-05-1965	31-05-2025
5	माया कुमारी (देवी) महिला स्वास्थ्य दर्शिका	टोंक	01-06-1965	31-05-2025
6	श्री बिहारी लाल नर्सिंग अधिकारी	ब्यावर	04-06-1965	30-06-2025
7	शकिला बानो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	डीडवाना कुचामन	26-07-1965	31-07-2025
8	जायदा बेगम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	टोंक	15-07-1965	31-07-2025
9	बीना कुमारी पी0के0 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	टोंक	10-07-1965	31-07-2025
10	आशा वशिष्ठ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	डीडवाना कुचामन	01-09-1965	31-08-2025
11	कृष्णा कुमारी सुवालका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	टोंक	09-08-1965	31-08-2025
12	श्रीमती एलिजाबेथ इम्मानएल नर्सिंग अधिकारी	अजमेर	13-10-1965	31-10-2025
13	कमला भाटी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	डीडवाना कुचामन	08-12-1965	31-12-2025
14	सीमा महावर महिला स्वास्थ्य दर्शिका	डीडवाना कुचामन	23-12-1965	31-12-2025
15	सरिता नागरवाल महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	डीडवाना कुचामन	31-03-1966	31-03-2026

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर  
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृति/ x-03-00781/2025/149 दिनांक:- 27/3/2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
3. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ई0एस0आई0) योजना, जयपुर।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
6. सम्बन्धित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
7. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. प्रभारी डी0पी0सी0/राज हैल्थ अनुभाग, मुख्यालय,।
9. सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी आईटी सैल, मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :26-03-2025 03:43:02